पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

भविष्य निधि कार्यालय के समीप
अरेरा हिल्स(हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प के पास) भोपाल
फोन नं 0755–2555726 फैक्स नं.–0755–2552899 ई–मेल dirpanchayat@mp.gov.in

क्रमांक/पं.रा/बजट/सर्वर/2021–22/5758 भोपाल, दिनांक 19/05/2021

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत–समस्त,
मध्यप्रदेश।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए जिला पंचायतों को योजना क्रमांक–8209(196) में जिला पंचायत के पदाधिकारियों के मानदेय हेतु बजट आबंटन जारी करने बाबत्।

– 00 –

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के क्रमांक 350/आर 22/2021/ब–1/चार, दिनांक 31.03.2021 से पंचायत राज संचालनालय के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये आवंटन प्राप्त हैं। प्राप्त आवंटन के आधार पर पंचायतराज संचालनालय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए मांग संख्या–62 के योजना क्रमांक–8209–पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय एवं सुविधाएं मद अंतर्गत लघुशीर्ष–196 में जिला पंचायत के आहरण संवितरण अधिकारियों को संलग्न परिशिष्ट के कॉलम–4 अनुसार अध्यक्ष हेतु राशि 39.627 लाख, कॉलम–5 अनुसार उपाध्यक्ष हेतु राशि 16.065 लाख, एवं कॉलम–6 अनुसार सदस्य हेतु राशि 32.633 लाख **इस प्रकार कॉलम–7 अनुसार कुल राशि 88.325 लाख (राशि रूपये–अठ्यासी लाख बत्तीस हजार पॉच सौ मात्र)** का आवंटन आपके अधिकार क्षेत्र में सौंपा जाता हैं।

उक्त व्यय मांग संख्या–62–पंचायत–शीर्ष–3604– स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–{196–जिला पंचायतों को सहायता} –8209–पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय एवं सुविधाए–9999–#42–सहायक अनुदान–009–पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से योजना क्रियान्वय हेतु अनुदान मद के अंतर्गत विकलनीय होगा।

टीपः– बकाया कार्यकाल के पदाधिकारियों के मानदेय का भुगतान म.प्र.शासन, पं.ग्रा.वि.विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2–1–13/22/पं–1, दिनांक 18.04.2013 में उल्लेखित दर तथा बढ़े हुए कार्यकाल के पदाधिकारियों के मानदेय का भुगतान म.प्र.शासन, पं.ग्रा.वि.विभाग के आदेश क्रमांक/एफ–2–1–13/22/पं–1, दिनांक 25.01.2021 में उल्लेखित दर से किया जाना सुनिश्चित करे।(छायांप्रति संलग्न)

निरंतर...

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा सौंपे गए आबंटन एवं तद्संबंधी दिए निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए योजनाओं के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय किया जावे :–

(1) व्यय करते समय शासन के मितव्ययता संबंधी समय–समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जावे। कोई भी व्यय किसी भी परिस्थिति में बजट आबंटन से अधिक न किया जावे।

(2) व्यय के आकड़ों का मिलान महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर कार्यालय के आकड़ों से करने की जवाबदारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी की होगी। व्यय के आकड़ों का मिलान भी महालेखाकार द्वारा निर्धारित तिथि में अनिवार्य रूप से किया जावे।

(3) व्यय की जानकारी संचालनालय को निर्धारित प्रारुप में अनिर्वायतः प्रत्येक माह की 10 तारीख तक भिजवाने की पाबंदी रखी जाय।

(4) संचालनालय व्दारा आपको सहायक अनुदान के अन्तर्गत जारी की गयी राशि के समस्त योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण–पत्र अनिवार्यतः भेजा जाना सुनिश्चित करें।

(5) संचालनालय व्दारा आपको उपलब्ध कराये जा रहे उपरोक्तानुसार बजट का उपयोग नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। आवश्यकता से अधिक बजट उपलब्ध होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक आवश्यक व्यय का के अनुमान का आकंलन कर शेष राशि संचालनालय के बी0सी0ओ0कोड़–2203 में समर्पित कर समर्पण आई0डी0 एवं पूर्ण विवरण सहित संचालनालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में जारी किया गया आवंटन लेप्स नहीं होवे इसका ध्यान रखें। आवंटन लेप्स होने की स्थिति में आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती हैं, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

<u>संलग्न</u> :–परिशिष्ट
(संचालक द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त संचालक(वित्त)
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक/पं.रा/बजट/सर्वर/2021–22/5759 भोपाल, दिनांक 19/05/2021

प्रतिलिपि :–

1. महालेखाकार, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
2. उप महालेखाकार(स्थानीय निकाय), मध्यप्रदेश, ग्वालियर को सूचनार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, पं.ग्रा.वि. विभाग मंत्रालय भोपाल।
4. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल।
5. सचिव, म.प्र.शासन, पं.ग्रा.वि. विभाग मंत्रालय भोपाल।
6. समस्त, संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
7. समस्त, कलेक्टर, जिला, मध्यप्रदेश।
8. समस्त, कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
9. निज सहायक आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय म.प्र. भोपाल।
   की ओर सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक(वित्त)
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

पंचायत राज संचालनालय म0प्र0भोपाल

परिशिष्ट

वित्तीय वर्ष 2021–22 में जिला पंचायत पदाधिकारियों (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों) के मानदेय हेतु योजना क्रमांक–8209(196) तथा कम पड़ रही राशि की प्रतिपूर्ति हेतु योजना क्रमांक–6299(0103) से द्वितीय त्रैमास तक के लिए जारी राशि का विवरण

(राशि रूपये में)

क्रमांक	जिले का नाम	डी.डी.ओ. कोड	प्रथम एवं द्वितीय त्रैमास हेतु जारी राशि					
			अध्यक्ष, जिला पंचायत 8209(196)	उपाध्यक्ष, जिला पंचायत 8209(196)	सदस्य जिला पंचायत 8209(196)	योग 8209(196)	सदस्य जिला पंचायत (6299–0103)	कुल जारी राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बालाघाट	0105802002	77700	31500	105900	215100	681600	896700
2	बड़वानी	0205802001	77700	31500	52100	161300	325900	487200
3	बैतूल	0305802031	77700	31500	86900	196100	543100	739200
4	भिण्ड	0405802019	77700	31500	82000	191200	516500	707700
5	भोपाल	0505802003	77700	31500	34900	144100	217100	361200
6	छतरपुर	0605802014	77700	31500	86400	195600	543600	739200
7	छिन्दवाड़ा	0705802015	77700	31500	108600	217800	647400	865200
8	दमोह	0805802001	77700	31500	56500	165700	353000	518700
9	दतिया	0905802004	77700	31500	34900	144100	217100	361200
10	देवास	1005802012	77700	31500	69700	178900	434300	613200
11	धार	1105802008	77700	31500	108600	217800	678900	896700
12	डिंडोरी	1205802010	77700	31500	34900	144100	217100	361200
13	गुना	1305802015	77700	31500	52100	161300	325900	487200
14	ग्वालियर	1405802010	77700	31500	47700	156900	298800	455700
15	हरदा	1505802005	77700	31500	34900	144100	217100	361200
16	होशंगाबाद	1605802023	77700	31500	56500	165700	353000	518700
17	इंदौर	1705802003	77700	31500	65400	174600	407100	581700
18	जबलपुर	1805802019	77700	31500	65400	174600	407100	581700
19	झाबुआ	1905802002	77700	31500	52100	161300	325900	487200
20	कटनी	2005802010	77700	31500	52100	161300	325900	487200
21	खण्डवा	2105802023	77700	31500	61000	170200	380000	550200
22	खरगौन	2205802122	77700	31500	104500	213700	651500	865200
23	मंडला	2305802004	77700	31500	61000	170200	380000	550200
24	मंदसौर	2405802012	77700	31500	65400	174600	407100	581700
25	मुरैना	2505802004	77700	31500	78400	187600	488600	676200
26	नरसिंहपुर	2605802006	77700	31500	56500	165700	353000	518700
27	नीमच	2705802002	77700	31500	34400	143600	217600	361200
28	पन्ना	2805802010	77700	31500	52100	161300	325900	487200
29	रायसेन	2905802002	77700	31500	65400	174600	407100	581700
30	राजगढ़	3005802010	77700	31500	69700	178900	434300	613200

वित्तीय वर्ष 2021–22 में जिला पंचायत पदाधिकारियों (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों) के मानदेय हेतु योजना क्रमांक–8209(196) तथा कम पड़ रही राशि की प्रतिपूर्ति हेतु योजना क्रमांक–6299(0103) से द्वितीय त्रैमास तक के लिए जारी राशि का विवरण

(राशि रूपये में)

क्रमांक	जिले का नाम	डी.डी.ओ. कोड	प्रथम एवं द्वितीय त्रैमास हेतु जारी राशि					
			अध्यक्ष, जिला पंचायत 8209(196)	उपाध्यक्ष, जिला पंचायत 8209(196)	सदस्य जिला पंचायत 8209(196)	योग 8209(196)	सदस्य जिला पंचायत (6299–0103)	कुल जारी राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	रतलाम	3105802015	77700	31500	61000	170200	380000	550200
32	रीवा	3205802019	77700	31500	130000	239200	815000	1054200
33	सागर	3305802018	77700	31500	108600	217800	678900	896700
34	सतना	3405802014	77700	31500	104100	213300	651900	865200
35	सीहोर	3505802006	77700	31500	65400	174600	407100	581700
36	सिवनी	3605802021	77700	31500	74000	183200	461500	644700
37	शहडोल	3705802004	77700	31500	56600	165800	352900	518700
38	शाजापुर	3805802016	77700	31500	39400	148600	244100	392700
39	शिवपुरी	3905802005	77700	31500	90800	200000	570700	770700
40	श्योपुर	4005802003	77700	31500	34900	144100	217100	361200
41	सीधी	4105802004	77700	31500	56600	165800	352900	518700
42	टीकमगढ़	4205802015	77700	31500	69700	178900	434300	613200
43	उज्जैन	4305802010	77700	31500	82800	192000	515700	707700
44	उमरिया	4405802006	77700	31500	34900	144100	217100	361200
45	विदिशा	4505802012	77700	31500	74000	183200	461500	644700
46	अनूपपुर	4605802004	77700	31500	39400	148600	244100	392700
47	अशोकनगर	4705802004	77700	31500	39400	148600	244100	392700
48	बुरहानपुर	4805802003	77700	31500	34900	144100	217100	361200
49	अलीराजपुर	4905802002	77700	31500	43600	152800	271400	424200
50	सिंगरौली	5005802001	77700	31500	52300	161500	325700	487200
51	आगर–मालवा	5105802003	77700	31500	34900	144100	217100	361200
योग			**3962700**	**1606500**	**3263300**	**8832500**	**20361700**	**29194200**

संयुक्त संचालक(वित्त)
पंचायत राज संचालनालय
म.प्र.भोपाल

(5)

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 2–1–13/22/पं.1 विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2–5/22/पं. 1/08 दिनांक 11 अगस्त 2008 व्दारा त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय एवं भत्ते स्वीकृत किए गये थे ।

2. राज्य शासन व्दारा त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों को पूर्व में स्वीकृत मानदेय भत्ते में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है । संशोधित मानदेय(दूरभाष एवं सत्कार भत्ता समेत) में निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्रमांक	पदाधिकारी	पंचायत	वृद्धि पश्चात कुल देय मानदेय (दूरभाष एवं सत्कार भत्ता समेत)
1.	अध्यक्ष	जिला पंचायत	₹ 11,100/– प्रतिमाह
2.	उपाध्यक्ष	जिला पंचायत	₹ 9,500/– प्रतिमाह
3.	सदस्य	जिला पंचायत	₹ 4,500/– प्रतिमाह
4.	अध्यक्ष	जनपद पंचायत	₹ 5,500/– प्रतिमाह
5.	उपाध्यक्ष	जनपद पंचायत	₹ 4,500/– प्रतिमाह
6.	सदस्य	जनपद पंचायत	₹ 1,500/– प्रतिमाह
7.	सरपंच	ग्राम पंचायत	₹ 1,750/– प्रतिमाह
8.	पंच	ग्राम पंचायत	₹ 100/–प्रति मासिक बैठक के मान से अधिकतम ₹ 600/–वार्षिक।

3. यह वृद्धि 1 अप्रैल 2013 से प्रभावशील होकर 1 अप्रैल 2013 से देय होगी। भारित होने वाली राशि गौण खनिज राजस्व मद से भुगतान की जावेगी ।

4. मध्यप्रदेश पंचायत जिला/जनपद पंचायत सदस्य (यात्रा भत्ता तथा अन्य) नियम 1995 में संशोधन पृथक से किया जा रहा है ।

5. यह आदेश वित्त विभाग की टीप यू.ओ.क. सी.आर. 81/चार/ब.4/2013 दिनांक 28.02.2013 व्दारा दी गई सहमति के आधार पर जारी किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ. राजेश राजौरा)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

DS (PV)
(B-4)

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 2-1-13/22/पं.1

प्रतिलिपी-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान. मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

---

1. सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव, कार्यालय मंत्रालय, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की ओर उनकी टीप यू.ओ.क. सी.आर. 61/चार/ब.4/2013 दिनांक 28.02.2013 के सन्दर्भ में सूचनार्थ ।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
4. आयुक्त, पंचायत राज, मध्यप्रदेश भोपाल
5. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, भोपाल
6. समस्त संभागीय आयुक्त, भोपाल
7. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
8. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश
9. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

म.प्र. शासन,

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

-: आदेश :-

भोपाल, दिनांक 25 .01.2021

क्रमांक/एफ-2-1-13/22/पं.-1 विभाग के आदेश क्रमांक एफ-2-5/22/पं-1/08 दिनांक 11 अगस्त 2008 तथा आदेश क्रमांक एफ 2-1-13/22/पंचा-1 दिनांक 18 अप्रैल 2013 के अनुसार प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए गठित प्रशासकीय समितियों के प्रधान एवं सदस्यों को निम्नांकित तालिका में अंकित अनुसार मानदेय प्रदाय किया जावे :-

क्रमांक	पदाधिकारी	पंचायत	देय मानदेय (दूरभाष एवं सत्कार भत्ता समेत)
1	2	3	4
1	प्रधान	प्रशासकीय समिति जिला पंचायत	11100/- प्रतिमाह
2	सदस्य	प्रशासकीय समिति जिला पंचायत	4500/- प्रतिमाह
3	प्रधान	प्रशासकीय समिति जनपद पंचायत	6500/- प्रतिमाह
4	सदस्य	प्रशासकीय समिति जनपद पंचायत	1500/- प्रतिमाह
5	प्रधान	प्रशासकीय समिति ग्राम पंचायत	1750/- प्रतिमाह
6	सदस्य	प्रशासकीय समिति ग्राम पंचायत	रूपये 100/- प्रतिमासिक बैठक के मान से अधिकतम रूपये 600/- वार्षिक

2. यह आदेश प्रशासकीय समिति के गठन अथवा प्रधान की नियुक्ति दिनांक जैसा कि उचित हो - से लागू होगा।

25/1/2021

(शोभा निकुम)
अवर सचिव,
म0प्र0 शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

MM ORDER 20149

पृ0 क्रमांक/एफ-2-1-13/22/पं.-1 भोपाल, दिनांक 25.01.2021

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी म0प्र0 शासन, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मा0 मंत्री जी/राज्यमंत्री जी म0प्र0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।

---

1. सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, पंचायत राज संचालनालय म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. संभागीय आयुक्त समस्त संभाग म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
7. कलेक्टर जिला समस्त म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत समस्त म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

25/1/21

अवर सचिव
म0प्र0 शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग